तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
21.8.18	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा** R.M.A.Case no. 24/2017-18 आजाद अंसारी बनाम इम्तियाज अंसारी एवं अन्य **आदेश** प्रस्तुत वाद R.M.A.24/2017-18 अनुमंडल पदाधिकरी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev.Mise.no.24 of 2009-10/169-2011-12 में दिनांक 17.05.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। अपीलकर्त्ता के आवेदन का अवलोकन किया एवं अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता ने जमींदार के द्वारा वर्ष 1951 में दिये गये सरकारी भूमि की बंदोबस्ती पट्टा के आधार पर 60 वर्षों के बाद सम्पुष्टि हेतु आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। 60 वर्षों की अवधि के विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण नहीं दिया गया है। अपीलकर्त्ता ने अपने अपीलीय आवेदन में अपने दावा के समर्थन में कुछ भी ऐसा कागजात प्रस्तुत नहीं किया जिससे की उनके दावा को विस्तार से परीक्षण की आवश्यकता पड़े। अपील आवेदन खारिज किया जाता है। Aeanand 21/8/2018 उपायुक्त जामताड़ा।	

Scanned with CamScanner